SHRI T.G. VENKATRAMAN: I will consider ii.

SHRI VAYALAR RAVI: Fine.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Now, the question is:

"That the Bill to amend the Seamen's Provident Fund Act, 1996, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): We shall now take up clausc-by-clausc consideration of the Bill.

Clauses 2 to 7 were added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): We take up Clause 1. There is one amendment, amendment No. 2, by he hon. Minister.

Clause 1—Short title and commencement

SHRI T.G. VENKATRAMAN: Sir, I beg to move:

"That at page 1, line 4, *tor* the figure "1995", the "1996" be *substituted."*

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): We now take up the Enacting Formula. There is one amendment, amendment No. 1, by the hon. Minister.

Enacting Formula

SHRI T.G. VENKATRAMAN: Sir, I beg to move:

"That at page 1, line 1, *for* the word "Forty-sixth", the word "Forty-seventh" be *substituted."*

The question was put and the motion was adopted

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI T.G. VENKATRAMAN: Sir, I move:

"That the Bill, as amended, be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): The hon. Minister of Railways, Shri Ram Vilas Paswan, wants to make a suo motu statement. He is here. Shall we ask him to make the statement?...He can. Please distyribute copies of the statement.

STATEMENT BY MINISTER

Blast in 1077 UP Jhelum Express at Ambla contonment Railway Station, at 2.15 A.M. on the 2nd December, 1996

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): सिकन्दर बख्त जी, रिवाइज्ड स्टेटमेंट हमने बनाया है। उसकी अंग्रेजी की कापियां तैयार है, हिन्दी की कापियां एक-दो मिनट में सब सदस्यों को मिल जायेंगी। यदि आपकी आज्ञा हो तो हिन्दी में पढ़ूं। नहीं तो अभी केवल यह अंग्रेजी में उपलब्ध है।

श्री सतीश अग्रवाल: आपने तैयार किया होता तो हिन्दी में होता। अफसर ने तैयार किया है तो अंग्रेजी में है।

श्री राम विलास पासवान: मैंने हिन्दी में देखा था। उसको ठीक किया, उसमें ही संशोधन किया गया है। इसी के कारण थोड़ा सा विलम्ब हुआ।

मै अत्यंत दुःख के साथ सदन को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सूचना दे रहा हूं जो 2.12.96 को लगभग 02.20 बजे अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर जम्मू जाने वाली झेलम एक्सप्रेस (गाड़ी सं॰1077 अप) के एक शयनयान में हुए विस्फोट के संबंध में है।

गाड़ी सं॰ 1077 अप झेलम एक्सप्रेस 01.12.96 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 21.50 बजे चली और 02.12.96 को लगभग 1.55 बजे अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर पहुंची। जब यह गाड़ी अंबाला छावनी स्टेशन के प्लेटफार्म नं॰ 6 से चलने वाली थी, तब इसके शयनयान सं॰ सी॰आर 5370 (एस-4) में विस्फोट हुआ।

नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, इस घटना में 10 यात्रियों की मृत्यु हुई और 29 व्यक्ति घायल हुए है जिन्हें अंबाला के विभिन्न अस्पतालों में अर्थात् सिविल अस्पताल, सैनिक अस्पताल और रेलवे अस्पताल तथा पी॰जी॰आई॰ चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया है। 29 घायलों में से 12 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है।

प्रथम दृष्टि में यह विस्फोट सवारी डिब्बे में कोई विस्फोटक यंत्र रखे जाने से हुआ। राजकीय रेल पुलिस, अंबाला छावनी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 एवं 5 के तहत 02.12.96 को प्राथमिकी सं॰559 दर्ज की है। हरियाणा सरकार द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है।

मैंने इस घटना की जांच रेल संरक्षा आयुक्त से करवाने के आदेश दे दिए हैं।

मैं रेल राज्य मंत्री और अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के साथ 02.12.96 को प्रातः विस्फोट के स्थल पर पहुंचा। डाक्टरी सहायता उपलब्ध कराने तथा यातायात को बहाल करने के लिए महाप्रबंधक/उत्तर रेल अपने विभागाध्यक्षों तथा डाक्टरों के एक दल के साथ घटनास्थल के लिए पहले ही रवाना हो गये थे। मृतकों के निकट संबंधियों और घायल व्यक्तियों को, मृत्यु के मामले में प्रत्येक को 15 हजार रुपए, गंभीर/भारी चोट के मामले मे प्रत्येक को 5000 रुपए और मामूली चोट के मामले में प्रत्येक को 2000 रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है/करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा, प्रत्येक मृत व्यक्ति के निकटतम संबंधी को 2 लाख रुपए और प्रत्येक घायल व्यक्ति 16,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक की बीमा योजना के अंतर्गत राशि पाने के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री बंसी लाल ने भी प्रत्येक मृत व्यक्ति के संबंध में 50,000 रुपए, गंभीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 10,000 रुपए और साधारण रूप से घायल प्रत्येक को 5000 रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 3 बोगियां हटा लिए जाने के बाद गाड़ी प्रातः 4.40 बजे अंबाला छावनी से रवाना हो गई थी।

सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए रेलवे ने निम्नलिखित उपाय किए हैं;

(1) फील्ड कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है।

(2) रेलवे स्टेशनों की इमारतों और प्लेटफार्मों आदि पर विशेषकर शौचालय, प्रतीक्षालय और बुकिंग काउंटर आदि संवेदनशील स्थलों पर गहन निगरानी के आदेश दिए गए हैं।

(3) धुलाई लाइनों, कोचिंग यार्डों में रेलवे सुरक्षा बल, पुलिस तथा सवारी डिब्बा कार्मिकों द्वारा रेकों और निचले फ्रेमों की संयुक्त रूप से पूरी तरह जांच की जा रही है और प्लेटफार्मों तक उनका मार्ग-रक्षण किया जा रहा है। प्लेटफार्मों पर पुनः उनकी पूरी तरह जांच की जा रही है।

(4) सूंघ कर विस्फोटक सामग्रियों का पता लगाने के लिए सूंघने वाले कुत्ते तैनात किए जा रहे हैं।

(5) सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को यह बताने के लिए बार-बार घोषणाएं की जा रही हैं कि वे अधिक सतर्क रहें और किसी संदेहास्पद वस्तु को न छुएं क्योंकि यह विस्फोटक या बम हो सकती है। यदि कोई ऐसी लावारिस या संदेहास्पद वस्तु पाई जाए, तो उसके बारे में रेल सुरक्षा बल/रेल कर्मचारियों को सूचना दी जाए।

(6) इस संबंध में आसूचना एकत्र करने के लिए राज्य पुलिस तथा सभी प्राधिकारियों के साथ निकट संपर्क और समन्वय बनाए रखा जा रहा है।

मैं हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री बंसी लाल से भी मिला और मैंने उनसे इस मामले की गहराई से छानबीन कराने का अनुरोध किया।

सभी रेल कर्मचारी और मैं स्वयं शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना और घायलों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त करते हैं।

मुझे विश्वास है कि शोक-संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करने में सदन भी मेरा साथ देगा।

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Sir, we welcome statement of the Railway Minister. One point is there. One clarification is required.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): No, no. Please wait.

SHRI NILOTPAL BASU: Not regarding the statement.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Now, the procedure is that after the Minister has made the statement, clarifications will be asked by Members. Eight Members have given their names for asking clarifications. At four o'clock we have listed a Short-Duration discussion. With the permission of the House, I think, clarifications can be taken up on another day because we have listed the Short-Duration Discussion at four o'clock today. The hon. Minister has also come.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): This is an extremely important issue. I quite agree that the Short-Duration Discussion should be there, but this is an extremely important issue. Half an hour can be allotted to this, and then the Short-Duration Discussion can start at 4.30 p.m.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G.

SWAMINATHAN): I want to take the sense of the House because the Short-Duration Discussion has already been listed at four o'clock.

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): I disagree with it. The Short-Duration Discussion should start at four o'clock... *{Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN):We will take it up tomorrow. The statement has been made now. We can take it up on the following day.

SHRI NILOTPAL BASU: But there is a question, Sir.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I am raising a different question: Such an accident has occured, and a large number of persons have died. It will not be proper for us to postpone it tomorrow. *...(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Please wait. There are two minutes more. At four o'clock we have listed the Short-Duration Discussion.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Why was he allowed to make the statement now?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Now there are only two minutes left. At four o'clock we have to take up the Short-Duration Discussion.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Why was he allowed to make the statement now?... *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN):The Minister has made the statement.

Clarifications can be taken up after one day.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Then, let the House decide about it...*(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN):The House has to decide about it.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: We would like to ask for clarifications at 6.30 p.m. today, not tomorrow.

SHRI VAYALAR RAVI: We shall take it up after the Short-Duration Discussion. *...(Interruptions)*

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: The Short-Duration Discussion has to conclude by that time. ^We should ask questions at 6.30 p.m. oirthe blast in the train. *...(Interruptions)*

THE VICE CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Yes, we wiU take it up after the Short-Duration Discussion-. We will try to complete if by that time.

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, we welcome this statement. It, is not a simple railway accident.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): I understand it.

SHRI NILOTPAL BASU: Several questions are involved in this. In the fitness of things, actually the Home Minister should come.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): You please raise all those matter when it is taken up.

SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: What has been decided, Sir?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): The decision is that we are taking up the Short-Duration Discussion now. *...(Interruptions)*

SHRI S.S. SURJEWALA: this is not a railway accident. *...(Interruptions)*

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: We would like to complete it today.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Let it be completed today.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: It cannot be left to be taken up tomorrow.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Mr. Minister, you can reply later on.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Please don't break the convention.

श्री राम विलास पासवान: उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि साढ़े छः बजे हम को कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि सात बजे से दूसरी मीटिंग है। (व्यवधान)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Postpone the meeting.

श्री राम विलास पासवान: हम अभी भी बैठने के लिए तैयार है। साढ़े छः बजे भी तैयार हैं। यह तो मानते हैं कि साढ़े 6 बजे से हो... (व्यवधान) लेकिन हम नहीं कह सकते है कि 7.00 बजे तक खत्म हो पाएगा या नहीं खत्म हो पाएगा क्लैरीफिकेशन... (व्यवधान) यदि यह संभव नहीं है..(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Not tomorrow. Sir, let us not break the convention of the House. This House has the convention of seeking clarification on statements. I agree that it could be taken up at 6.30 p.m.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): This House has the convention of seeking clarifications on some other day also. It need not be on the same day. It can be some other day also. The Minister says it is not possible for him to be here.

SHRI S.S. SURJEWALA (Haryana): Sir, I agree with the hon. Member. This is not a railway accident, but a blast done by extremists, anti-social elements and anti-national elements. Therefore, it is the Home Minister who should respond as to the reasons. If such an accident occurs in a bus or a car or a cycle or a motorcycle, the manufacturer or the owner might be examined. But this is a railway accident pure and simple. This is an extremist act. Therefore, it is the Home Minister who should be called, may be today or tomorrow and that is for the House to decide. But kindly take note of this point and view this issue in this light.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): When the matter is taken up, the House fan decide to request the Home Minister to reply.

SHRI RAM VILAS PASWAN: Sir, I have a request to make. If it goes beyond 6.45 p.m., then my colleague, Shri Satpal Maharajji, will reply. I request that it may be permitted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): He can reply. He can do that. Immediately after the short-duration discussion is over. ...*(Interruption).*

SHRI VAYALAR RAVI: The basic point raised that the Home Minister will reply.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): The Parliamentary Affairs Minister or somebody should reply to that. What is the feeling of the Government about it? Are you willing? Is the Parliamentary Affairs Minister there?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Mr. Gujral is present here. Mr. Gujral may be requested to convey the opinion of the House to the hon. Home Minister to make himself present here.

THE VICE-CHAIRMAN' (SHRI G. SWAMINATHAN): Yes. A senior Minister is here. He will definitely take note of the sense of the House.

SHRI S.S. SURJEWALA: The security of the nation is involved. The Home Minister is the appropriate person.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): He will understand the sense of the House. He will definitely communicate it.

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: गृह मंत्री को आना चाहिए क्योंकि यह तो पाकिस्तानियों का या आतंकवादियों का काम है।

श्री राघवजी: बगैर गृह मंत्री के वक्तव्य का कोई मतलब नहीं है, स्पष्टीकरण का कोई मतलब नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Have you to say anything? Is the Parliamentary Affairs Minister there? Nobody is here.

SHRI RAGHAVJI: Nobody is responding.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): It is up to the

Government to respond. We cannot force them to respond. I have said that the sense of the House is that the Home Minister should reply. He will take it up with the appropriate people and then they will respond.

SHRI I.K. GUJRAL: We are sending word.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Now, we will take up the short-duration discussion. Initiating the discussion is Prof. V.K. Malhotra.

SHORT-DURATION DISCUSSION

Need for Review of foreign Policy

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): उपसभाध्यक्ष महोदय, भारत की विदेश नीति से भारत की स्थिति आज अत्यंत दयनीय है। ग्लोबल अफेयर्स में हम पूरी तरह से मार्जिनाइज्ड हो गए हैं, दुनिया में हम अलग-थलग पड़ गए हैं, अकेले पड़ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट के लिए हमारी शर्मनाक हार ने सिद्ध कर दिया है कि दुनिया की दृष्टि मे हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा अपमान हो रहा है। हमें धमकियां दी जा रही है। हमें ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि दुनिया की सारी कम्युनिटी में हम कोई अनाथ हों। इस दुर्दशा के लिए सारी जिम्मेदारी मैं इस सरकार पर तो नहीं डालना चाहता क्योंकि बहुत कुछ पाप की भागीदार इससे पहले की सरकार भी है और काफी देर से यह स्थिति इस तरह से बिगड़ती चली आ रही है। परंतु अपने लायक दोस्त गुजराल साहब से यह उम्मीद थी क्योंकि वे बहुत पुराने, विदेश नीति के कुशल है और उनसे यह आशा थी कि यहां पर आने के बाद वे इसको पटरी पर वापस लाएंगे और कुछ ऐसे कदम उठाएंगे कि... और कुछ ऐसे कदम उठायेंगे कि हिन्दुस्तान का अस्तित्व ही दुनिया की नज़रों में दिखायी देने लगे। परन्तु दुर्भाग्य है कि कुछ तो इस नई सरकार की नीतियों के कारण, और कुछ ऐसी गलतियों के कारण स्थिति पहले से भी ज्यादा बिगड़ी है। मैं यद्यपि बहुत से दूसरे सवाल है पर सब से पहले उस सवाल को लेना चाहता हूं कि सरकार जिसे एक ऐतिहासिक समझौता कह कर ढिंढोरा पीट रही है, चीन के राष्ट्रपति हिन्दुस्तान में आए और यह कहा जा रहा है कि उनके साथ एक बड़ा ऐतिहासिक समझौता हुआ है, प्रधान मंत्री ने, हमारे विदेश मंत्री ने इसका बहुत बड़ा श्रेय लेने की कोशिश की है। उपसभाध्यक्ष महोदय, चीन के साथ समझौता हो और शांति बनी रहे, हर आदमी यह चाहेगा। परन्तु इस समझौते में ऐतिहासिक क्या है यह मेरी समझ में नहीं आता है। क्या ऐतिहासिक यह है कि चीन के राष्ट्रपति पहली बार हिन्दुस्तान में आए, क्या केवल ऐतिहासिकता इसमें है कि हमारे प्रधान मंत्री ने सारे प्रोटोकोल तोड़ करके उनकी अगवानी की और उनको छोड़ने गए? क्या यह ऐतिहासिक है कि मादक द्रव्य पदार्थों की तस्करी रोकी जाए?

क्या ऐतिहासिक समझौता यह है कि हांगकांग के अंदर, जब 1997 में वह चीन का हिंस्सा बन जाए, तो हम अपना कौंसलेट वहां पर खोलें? हमारे साथ चीन के सवाल जो जुड़े हुए हैं उन सवालों का क्या हुआ? क्या चीन के राष्ट्रपति हिन्दुस्तान में आए और उन्होंने आ करके जो हजारों किलोमीटर जमीन हमारी उन्होंने छीन रखी है और छीन करके कब्जा करके अपने पास रखी है उसके बारे में समझौते में क्या हुआ? क्या वह इसका समझौता करने आए थे कि उनके बारे में कोई बातचीत की जाए कि वह धरती हमें कब वापस दी जाएगी, किस रूप में वापस की जाएगी या हमने उस सवाल को कोई जोर से उनके साथ उठाया है कि यह हमारी धरती आपके कब्जे में है इसको आप कब वापस करने वाले हैं? क्या हमने तिब्बत के अन्दर होने वाला दमन, तिब्बत के अन्दर होने वाले मानवाधिकारों का हनन, वहां पर तिब्बती शरणार्थी जो हिन्दुस्तान में बैठे हुए हैं उनके वापस जाने की बात क्या वहां के राष्ट्रपति ने हमसे की या हमने उनके साथ की? अगर उन्होंने नहीं की तो हमने उन तिब्बती शरणार्थियों को वापस भेजने के लिए वहां वातावरण बने और वहां जो आज मानवाधिकारों का हनन हो रहा है क्या उसके बारे में कोई समझौता उनके साथ हुआ है या कोई उसके बारे में बातचीत हुई है? पाकिस्तान को जो एटमी हथियार चीन दे रहा है जो एम-11 मिसाइल दे रहा है, जो बंगलादेश के अंदर अपना नौसैनिक अड्डा बना रहा है, जो बर्मा को वह हथियार दे रहा है, बंगलादेश को वह हथियार दे रहा है, हिन्दुस्तान की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है उसके बारे में आपका उससे क्या समझौता हुआ है? क्या आपने उनसे कोई बातचीत की या आपने उनसे कहा है कि यह पाकिस्तान के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, हिन्दुस्तान के साथ यह दुश्मनी की बातें क्यों की जा रही हैं, उनके साथ ये सवाल कितने जोर से आपने उठाए या उन्होंने उसके बारे में क्या कंसीड आपको किया? पाकिस्तान को एटमी हथियार, पाकिस्तान को दूसरे हथियार, हमारे काराकोरम के अंदर अपनी सड़क बना लेना, लद्दाख के अंदर हजारों किलोमीटर की जमीन, 33 हजार किलोमीटर